न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : दीपक मेहता, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 2/17 (वाद)

1. श्रीमती दुर्गा पुत्री भेरूलाल पत्नी मांगीलाल जाति लोहार निवासी सनवाड, हाल करजु, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ।

............वादीयां

बनाम्

1. श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी भैरूलाल जाति लोहार, निवासी सनवाड रामतलाई, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री भेरूलाल पत्नी कालुलाल जाति लोहार, निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती कंकु पुत्री भेरूलाल पत्नी अर्जुनलाल जाति लोहार, निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
4. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर।
6. उप पंजीयक अधिकारी, सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
7. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा फतहनगर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादीया।
2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.

निर्णय

दिनांक : 30.01.2019

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड की आराजी संख्या 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722 मी, 723, 724, 725, 726, 727, 728 कीता 13 रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा वर्णित आराजीयात् वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 तक वाद पत्र के साथ पेश है। हम पक्षकारान् का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैः–

रूपा पिता किशना लौहार (मूल पुरूष) फौत

भैरूलाल (पुत्र, फौत) — रतनलाल (पुत्र, फौत)

भैरूलाल (पुत्र, फौत): सुन्दरबाई (पत्नी), प्रेमबाई (पुत्री), दुर्गा (पुत्री), कंकु (पुत्री)

रतनलाल (पुत्र, फौत): छगु (पत्नी), उदयलाल (पुत्र), रामचन्द्र (पुत्र), सवागी (पुत्री), मनोहरी (पुत्री)

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष रूपा पिता किशना लोहार थे जिसके दो पुत्र भैरूलाल, रतनलाल हुए। भैरूलाल व रतनलाल का निधन हो चुका है। भैरूलाल के वारिसान् पुत्रियां दुर्गा (वादीया), प्रेमबाई, कंकु एवं पत्नी सुन्दरबाई है। रतनलाल के वारिस पुत्र उदयलाल, रामचन्द्र, पुत्रिया सवागी, मनोहरी एवं पत्नी छगु है। वाद वर्णित आराजीयात् पूर्व में हमारे मौरूस रूपा पिता किशना लोहार के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो मुझ वादीया व प्रतिवादी संख्या 2,3 की पैतृक सम्पति है जिसमें मुझ वादियां को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और मैं वादियां उक्त भूमि में अपने हिस्सानुसार भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूं। वाद वर्णित आराजीयात जो पूर्व हमारे मौरूस रूपा पिता किशना लोहार के नाम दर्ज थी और चूंकि रूपा के फौत होने के बाद विरासत से उक्त भूमि उनके पुत्र भैरूलाल एवं रतनलाल के नाम पर आनी चाहिए थी परन्तु हमारे मौरूस रूपा जी के देहावसान के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 जो मुझ वादीयां की माता है, ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि को हमारे पिता भैरूलाल के नाम पर अंकित नही करा रूपा जी के नाम की 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम पर अंकन करवा दी और इसके बाद नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 के यहां रहन भी रख दी। जबकि उसे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही था। मुझ वादीयां के पिता भैरूलाल का देहावसान हो चुका है और चूंकि उक्त भूमि हमारी पैतृक सम्पति होकर मैं वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 रूपाजी की पौत्रियां होकर उनके पुत्र भैरूलाल की जायन्दा संताने है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि में मुझ वादीयां को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और मैं वादीयां एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 मौके पर अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज हो

काश्त भी कर रही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसके हिस्से से अधिक भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 के यहां रहन रखी गई है जो मुझ वादीया के अधिकारों के मुकाबले कानूनन अवैध है इसलिये मैं वादिया वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम 1/8 हिस्सा से दर्ज कराने की अधिकारी हूं इसलिये यह वाद पत्र प्रस्तुत है। मुझ वादिया का प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ वादिया को जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त हो गया है लेकिन वर्तमान में मुझ वादीयां के हिस्से की भूमि मुझ वादीया के नाम पर अंकित नही होकर प्रतिवादी संख्या 1 जो मुझ वादीया की माता है के नाम पर अंकित है और वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितुर उत्पन्न होने से प्रतिवादी संख्या 1 अब इसका नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से उसके नाम अंकित कुलिया भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीयां दे रही है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके नाम अंकित सम्पूर्ण भूमि को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नही है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त में भूमि केवल मात्र 1/8 हिस्सा ही है मुझ वादीया का उक्त भूमि पर अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है लेकिन उक्त पैतृक जमीन मेरे नाम दर्ज नही होने से अब प्रतिवादी संख्या 1 उक्त जमीन अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तांतरित करने की धमकिया दे रही है और मुझ वादीयां को मेरे हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है इसलिये मैं वादीयां प्रवितादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि प्रतिवादी संख्या 1 मुझ वादिया को मेरे हिस्से भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादीयां को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असम्भव होगा। अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात् में मुझ वादीयां एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 प्रत्येक को 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम भी 1/8 हिस्सानुसार अंकित किया जावें। मुझ वादिया के पक्ष में एवं

प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात् में वादीया को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, वादीया को बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तांतरित नही करें, वादीया के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद उसका पंजीयन नही करे, राजस्व रेकार्ड में किसी तरह का परितर्वन नही करें।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि – वादीया ने अपने वाद की कलम संख्या दो मे यह स्वीकार किया है विवादाग्रस्त जायदाद रूपा पिता किशना लौहार की थी। श्री रूपाजी का स्वर्गवास सन् 1971 के पहले ही हो चुका था और उनकी मृत्यु के बाद सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी मावली ने मिसल नम्बर 176/71 के द्वारा दिनांक 23.04.1971 को उक्त विवादाग्रस्त आराजीयात् उस समय मौजूद रूपा के लडके भैरूलाल व रतनलाल के नाम पर 1/2, 1/2 हिस्से के अनुसार रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश हो गया। जिस समय रूपा की मृत्यु हुई उस समय रूपा की सम्पति में लडकियों को कोई अधिकार प्राप्त नही होते थे उस दृष्टि से रूपा के मरने के बाद भैरूलाल व रतनलाल के नाम पर 1/2, 1/2 दर्ज करने का आदेश सही हुआ है ऐसी स्थिति में रूपा के मरने के वाद 1/2 हिस्से का मालिक भैरूलाल हो गया और भैरूलाल ने भी दिनांक 21.07.1971 को एक बख्शीसनामा अपनी पत्नी मुझ प्रतिवादिया सुन्दरबाई के पक्ष में सम्पादित कर दिया और सब रजिस्ट्रार मावली से पंजीयन कराया और उस रजिस्टर्ड बख्शीसनामा के आधार पर सहायक भू प्रबन्ध एवं भू अभिलेख अधिकारी मावली ने मिसल नम्बर 173/71 दिनांक फैसल 23.04.1971 के द्वारा रूपलाल पिता किशना के नाम की बजाय 1/2 हिस्से में मुझ प्रतिवादिया का नाम दर्ज किया जो सही किया गया है और तबसे ही 1/2 भाग पर मुझ प्रतिवादीया सुन्दरबाई का ही शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादीया का कोई कब्जा नही है और वादीया उसके ससुराल करजू में निवास करती है। इस प्रकार जब वादीया का इन आराजीयात् में किसी प्रकार का कोई स्वत्व ही नही

है तो उसको मुझ प्रतिवादीया के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने का कोई अधिकार नही है। इस तरह वादीया का यह वाद बार्ड बाई लॉ है तथा मुझ प्रतिवादीया के विरूद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नही होता है इसलिए भी यह वाद चलने योग्य नही है। मुझ प्रतिवादीयां सुन्दरबाई को भैरूलाल ने रजिस्टर्ड बख्शीस पत्र द्वारा बख्शीस की है व कब्जा सिपुर्द किया है इस तरह यह बख्शीसनामा स्वतः वोइड नही होकर वोईडेबल की तारीफ में आता है और उस बख्शीसनामा को जब तक सिविल कोर्ट से खारीज नही करवा देवे तब तक इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है इसलिए भी यह वाद चलने योग्य नही होकर खारीज योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीया का वाद इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावें।

3. प्रतिवादी सं. 1 के प्रार्थना पत्र का वादीयां द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक का जवाब में पैतृक सम्पति होना स्वीकार किया गया है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है परन्तु पिता के नाम पर सम्पत्ति आना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 का जवाब रूपा की सम्पति मेरे पिता भैरूलाल के नाम पर आयी थी मैं उस सम्पति में हिस्सा मांग रही हूं मुझ वदीया के पिता के नाम पर कृषि भूमि आई है उस सम्पति में हमारा हक हिस्सा बनता है तथा भैरूलाल के विरासत से हमारा हिस्सा बनता है क्योकि हम उनकी पुत्रिया है भैरूलाल ने बिना हमारी जानकारी के बिना सहमति के कोई पैतृक सम्पति हस्तान्तरण की है तो वह अवैध है क्योंकि उनको पुरा हिस्सा हस्तान्तरण करने का अधिकार नही था पैतृक सम्पति होने के कारण इस पर हमारा कब्जा चला आ रहा है। पैतृक सम्पति है स्वामित्व हक हिस्सा बनता है। हस्तान्तरण का दस्तावेज निरस्त कराये बिना भी हक व हिस्से की घोषणा का वाद किया है। प्रतिवादी उक्त सारे एतराज जवाब में भी ले सकते है जिससे तनकी बनकर वाद का निर्णय किया जा सकता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल दावे के अभिवचन ही पढे जाते है इसके अतिरिक्त मेटेरियल नही देखे जाते है वाद चलने योग्य है। अतः वादी का प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र भारी मात्रा में कोस्ट लगाकर खारिज फरमाया जाने की कृपा करावें।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादीयां का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में RRD 2018 Page 420 एवं RRD 2018 Page 428 पेश की।

विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र के तहत् वादी के वाद को देखा जायेगा। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के तहत् नहीं आता हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

   (क)जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

   (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

   (ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

   (घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

   (ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

   (च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत RRD 2018 Page 420 एवं RRD 2018 Page 428 का सदभावनापूर्वक अवलोकन किया। वादीयां द्वारा वादग्रस्त भूमि जो पूर्व में वादीया के दादा रूपा पिता किशना के नाम दर्ज थी को पैतृक सम्पति मानते हुये जन्म से ही अधिकार/हक प्राप्त होने के कारण 1/8 हिस्सा वादियां 1/8 हिस्सा वादिया की माता सुन्दरबाई (प्रतिवादी संख्या 1) 1/8 हिस्सा वादिया की बहिन प्रेमबाई (प्रतिवादी संख्या 2) एवं 1/8 हिस्सा वादिया की बहिन कंकु (प्रतिवादी संख्या 3) के नाम खातेदारी घोषणा करने बाबत् प्रतिवादी के विरूद्व पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेज से जाहिर आया कि श्री रूपा जी का स्वर्गवास 1971 के पहले ही हो चुका था और उनकी मृत्यु के बाद सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी ने मिसल नम्बर 176/71 के द्वारा दिनांक

23.04.1971 को वादग्रस्त आराजीयात रूपा के लडके भेरूलाल व रतनलाल के नाम 1/2, 1/2 हिस्सें के अनुसार रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश किया गया। भेरूलाल ने अपनी 1/2 हिस्सें की भूमि का दिनांक 21.04.1971 को एक रजिस्टर्ड बख्शीसनामा अपनी पत्नी सुन्दरबाई के पक्ष में सम्पादित कर दिया। इस रजिस्टर्ड बख्शीसनामें के आधार पर सहायक भू. प्रबन्ध एवं भू अभिलेख अधिकारी मावली ने मिसल नम्बर 173/71 फैसल दिनांक 23.04.1971 द्वारा भेरूलाल का नाम निरस्त कर रिकार्ड में सुन्दरबाई का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005, 9 सितम्बर 2005 को प्रभाव में आया जिसके तहत 9 सितम्बर 2005 को जीवितकर्ताओं की जीवित पुत्रियों को सम्पत्ति में हम वारिस होने का अधिकार है। अर्थात् पिता की सम्पत्ति में बेटे एवं बेटी का बराबर हिस्सा होगा लेकिन यह हिस्सा तभी मिल सकेगा जब पिता और बेटी दोनों नये कानून के लागू होने की तिथि 9 सितम्बर 2005 को जीवित हो। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 में पैतृक सम्पति में लडकियों को 9 सितम्बर 2005 से ही को–पार्शनर माना गया हैं अर्थात् पैतृक सम्पति में 9 सितम्बर 2005 से पूर्व पुत्रियों को सह खातेदार का अधिकार नहीं हैं। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि दिसम्बर 2004 के 20 वें दिन से पूर्व से किये गये सम्पत्ति के व्ययन या अन्य संक्रामण जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति का विभाजन या वसीयती व्ययन भी है, प्रभावित या अविधिमान्य नही होगा। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में वादीयां का जन्म से कोई अधिकार नहीं बनता हैं। इस कारण भेरूलाल ने सुन्दरबाई के पक्ष में जो रजिस्टर्ड बख्शीसनामा किया है वह स्वतः वोईड नहीं होकर वोईडेबल की तारिफ में आता हैं। जिसे खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को हैं, राजस्व न्यायालय को नहीं हैं। राजस्व न्यायालय में वाद चलने योग्य नहीं होने से वाद बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः वादीयां का वाद बार्ड बाई लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

बईजलास दीपक मेहता, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 2/17 (वाद)

1. श्रीमती दुर्गा पुत्री भेरूलाल पत्नी मांगीलाल जाति लोहार निवासी सनवाड, हाल करजु, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ। ....वादीयां

बनाम्

1. श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी भैरूलाल जाति लोहार, निवासी सनवाड रामतलाई, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री भेरूलाल पत्नी कालुलाल जाति लोहार, निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती कंकु पुत्री भेरूलाल पत्नी अर्जुनलाल जाति लोहार, निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
4. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर।
6. उप पंजीयक अधिकारी, सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
7. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा फतहनगर।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु दीपक मेहता R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.01.2019 को जारी की गई।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली